

दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर

'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये भर्ती थी, आशा, साथिन को शामिल करना गलत'

जयपुर, (का.सं.)। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेशस्तरीय भर्ती परीक्षाओं ने बताया कि राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक अक्टूबर 2018 को विज्ञापन में 309 रिक्त पदों के लिये भर्ती निकाली। इसमें आशा, साथिन आदि संवर्ग का तो नाम ही नहीं है वो यह कहाँ से इन्हें शामिल कर लिया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि संघ को नियमानुसार न्याय दिलवाने और न्यायोचित मामलों को पूरा कर अनुपहोत करें। उन्होंने आगे कहा कि यदि हमारी बातों पर राज्य सरकार ने गौर नहीं किया तो नौ अगस्त को महात्मा गांधी के चलाए हुए पद विन्नों के अनुसार धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन में मुख्य रूप से स्पष्ट किया था कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो किसी भी विभागीय कार्यालय से स्नातक हो, जिसे 10

■ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने 9 अगस्त को प्रदर्शन की चेतावनी दी

वर्ष का या 10 वर्ष से अधिक का कार्यनुभव हो और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही हो, उन्हीं को महिला पर्यवेक्षक के रूप में लिखित परीक्षा देकर परीक्षा उत्तीर्ण करने होगी, और उन्हीं में से चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। लेकिन दुर्भाग्य है जो 10 वर्ष से अधिक समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मों के रूप में कार्यरत हैं और स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उससे भी अधिक योग्यता रखने वाली हैं उनको इसमें नजर अंदाज किया गया। वर्णित सलेबस में

बाहर की सारी प्रक्रिया आई जो गलत है। यह चयन केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए थी और इसमें आशा, साथिन को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जो विज्ञापन एवं निर्देशों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि अनुभवहीन स्नातकोत्तर और अधिक योग्यता रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसमें विचार नहीं किया गया और अन्य संवर्ग सहायिका, आशा, साथिन, सहयोगिन आदि संवर्ग को अभ्याधी जिनको केवल 5, 4 वर्ष का ही अनुभव है उनको कंसिडर कर लिया और चयन प्रक्रिया में डालकर उनको सफल प्रत्याशी मान लिया गया जो विज्ञापन, राजस्थान महिला एवं बाल विकास के निर्देश के विपरीत है। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य अधिनस्थ कार्मिक चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी.एन. जाटवत द्वारा यह घोषणा की गई है और करोड़ों रुपये को इसमें हेरफेर की गई है।